I/56279/2023

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
क्षेत्रीय कार्यालय,चंडीगढ़ / Regional Office, Chandigarh

F. No.: 9-HRB039/2023-CHA **Dated: October, 2023**

सेवा में ,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ 160001 (fcforest@hry.nic.in)

विषयः- Diversion of 3.7381 ha. in (2.2099 ha. of Ambala, 1.0222 ha. Of Yamuanagar, 0.029 ha. of Kurukshetra 0.477 ha. of Karnal) of Forest land in favour of Project Director National Highways Authority of lndia Ambala for Construction of 6-lans access-controlled Highway from Shamli to Ambala along Mohri-Kesri road K.M 12-13 L/R/Sidi, Jagadhari Ambala Road Km. 4l-42 LtSide Mithipur to Sambhalka Road L&R Side, Hamidpur Bund 0'Tail R/L Side, Adhoya to Akalgarh Road r-2 WL Side, Alawapur-Foxa Line Road R/L Side in state of Haryana and Utta-r Pradesh and Punjab under Forest Division & District Ambala (Online Proposal No.FP/HR/Road/l53630/2022)

संदर्भ अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा सरकार के पत्र FCA/1621 दिनांक 29.09.2023.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है | इस प्रस्ताव में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक **15.06.2023 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति** प्रदान की गई थी, जिसकी अनुपालना रिपोर्ट अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (FCA) व नोडल अधिकारी के पत्र **दिनांक 29.09.2023**. **(ऑनलाइन पोर्टल)** द्वारा प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त उद्देश्य हेत **3.7381 ha** हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग हेतु **विधिवत स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है:-

i. वन भूमि की विधिक स्थिति बदली नहीं जाएगी |

ii. काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुचांया जाएगा

iii. राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार **Degraded वन भूमि Damli Bandh RD 16-20 in Thanesar Range, Bir Tapur RF in Jagadhari, Khergani Sec 4 & 5 in Naraingarh, Yamuna Bandh RD- 23-50 in Indri Range,** पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा | यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा |

iv. प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए |

v. **राज्य सरकार प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि को गैर वानिकी कार्यो के लिए हस्तानान्तरण से पूर्व स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण (CA) क्षेत्र की KML फाइल को भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के E-Green Watch पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी |**

vi. **DFO यह सुनिश्चित करेंगे कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना अनुमोदित CA site (sites) को नहीं बदला जाएगा ।**

vii. **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य कैम्पा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य कैम्पा के तहत निधियां अनुमोदित सीए योजना के अनुसार DFO को जारी की जाएंगी।**

viii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा ।

ix. कंडक्टर तथा पेड़ों के बीच का फासला कम से कम 5.5 मीटर होना चाहिए | कन्डक्टरों के झुकाव तथा झोल को ध्यान में रखा जायेगा | बिजली की निकासी बनाये रखने के लिये जब कभी आवश्यक होगा तो पेड़ों की काट छांट का कार्य स्थानीय वन मण्डल अधिकारी की अनुमति से किया जायेगा | संचरण लाइन के मार्गाधिकार में नीचे छोटे कद के पौधों, मुख्य रूप से औषधिय पौधों का रोपण किया जायेगा |

बेज नं. 24-25, सेक्टर-31 ए, चंडीगढ़-160030 / **Bays No.** 24-25, **Sector**-31 A, **Chandigarh**-160030
दूरभाष/**Tel No :** 0172-2638061 **Fax No :** 0172-2638135 **Email :** ronz.chd-mef@nic.in

x. जब कभी भी NPV की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी |

xi. प्रयोक्ता एजेंसी वन क्षेत्रों में से ट्रांसमिशन लाइन बिछाने हेतु दिशा-निर्देशिका Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarification, 2019) के Chapter 10 के तहत जारी दिशा निर्देश का अनुपालन करेगी|

xii. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे |

xiii. FRA, 2006 का पूर्ण अनुपालन का प्रमाण सम्बंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण-पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा |

xiv. सम्बंधित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, परिवर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आवश्कतानुसार जमीन पर सीमांकित किया जाएगा |

xv. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा|

xvi. इस अनुमोदन के तहत डायवर्सन की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में की जाने वाली पट्टे की अवधि या परियोजना का कार्यकाल, जो भी कम हो, के साथ एक सीमा वाली (Co-terminus) होगी |

xvii. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |

xviii. केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |

xix. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीव का संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए समय – समय पर लगाई जा सकती है |

xx. सक्षम प्राधिकारी अनुमति को रद्द कर सकता है, यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का पालन संतोषप्रद नहीं है| राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से उपरोक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी |

xxi. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी|

3. मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है । ***राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी***

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत जारी की जा रही है |

भवदीय
-sd-

Signed by
Raja Ram Singh
Date: 26-10-2023 16:46:13

(राजा राम सिंह)
उप-वन महानिरीक्षक(केन्द्रीय)
RO, MoEF&CC, Chandigarh

प्रतिलिपि:-

1. वन महानिरीक्षक (ROHQ), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग़, अलीगंज, नई दिल्ली । (ramesh.pandey@nic.in).
2. The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana.(pccf-hry@nic.in).
3. The Nodal Officer (FCA), Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (cffcpanchkula@gmail.com).
4. The Divisional Forest Officer, Forest Division & District Yamuna Nagar, Karnal,Kurukshetra, Ambala, Haryana. (dfo.krnl-hry@nic.in).
5. 5. The General Manager Technical, NHAI PIU I, AMBALA, Haryana.(piu1amb@gmail.com)